



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : PLEXHO/Cir/ 974 25.03.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय सदस्य,

विषय: राहत घटकों I, II और III के अंतर्गत डीजीएफटी की अधिसूचना संख्या 65/2025-26 दिनांक 19.03.2026 के अनुसार दावा प्रस्तुत करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया।

डीजीएफटी की अधिसूचना संख्या 65/2025-26 दिनांक 19.03.2026 (https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260320114607.pdf) के संदर्भ में, खाड़ी और पश्चिम एशिया समुद्री गलियारे में असाधारण माल ढुलाई वृद्धि, बढ़े हुए बीमा प्रीमियम और युद्ध संबंधी जोखिमों से प्रभावित निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए राहत और हस्तक्षेप के संबंध में।

निर्यात संवर्धन मिशन के तहत एक सीमित समय के लिए राहत हस्तक्षेप , जिसे भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना है , को खाड़ी और पश्चिम एशिया समुद्री गलियारे में भू-राजनीतिक व्यवधानों से उत्पन्न उच्च निर्यात जोखिमों को संबोधित करने के लिए परिचालन में लाया गया है।

राहत कार्य का उद्देश्य प्रभावित देशों में युद्ध संबंधी जोखिमों और उनसे जुड़े राजनीतिक जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करना है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इज़राइल, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, इराक, ईरान और यमन जैसे देशों में डिलीवरी या ट्रांस-शिपमेंट के लिए भेजे जाने वाले फुल कंटेनर लोड (FCL), लेस दैन कंटेनर लोड (LCL) या रीफर कंटेनर (नाशवान माल) वाले शिपमेंट शामिल होंगे।

इसके अतिरिक्त, ईसीजीसी लिमिटेड ने हमें निम्नलिखित दो दस्तावेज भेजे हैं:

1) इस योजना की मुख्य विशेषताएं यहां देखी जा सकती हैं: https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260324120314.pdf

2) डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 65/2025-26 दिनांक 19.03.2026 के अनुसार दावा प्रस्तुत करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) यहां देखी जा सकती है: https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260324120547.pdf

सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें और राहत योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए शीघ्रता से दावा प्रस्तुत करना शुरू करें।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

सस्त्रेह,

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल